

गन्ना विकास विभाग—बरेली

बिन्दु संख्या—1

संगठन, कार्यों तथा कर्तव्यों का विवरण

जिला स्तर पर गन्ना विकास कार्यों का संचालन श्रेणी—2 के राजपत्रित अधिकारी (जिला गन्ना अधिकारी) के निर्देशन में होता है नियमानुसार इस जनपद की पाँच चीनी मिल क्षेत्रों में स्थित पाँच गन्ना विकास परिषदों हेतु 5 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (वर्ग—1) 50 गन्ना विकास निरीक्षक (वर्ग—2) तथा 200 गन्ना पर्यवेक्षक (वर्ग—3) तथा 1 सहायक एवं 5 अवर अभियन्ता होने चाहिये परन्तु वर्तमान में विभाग के विकास कार्यों का संचालन जिला गन्ना अधिकारी द्वारा 4 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, 24 गन्ना विकास निरीक्षकों तथा 100 गन्ना पर्यवेक्षकों के माध्यम से कराया जा रहा है। जिनके वेतन की व्यवस्था राजकीय कोष से की जाती है जबकि अन्तरग्रामीण निर्माण कार्यों के संचालन हेतु नियुक्त एक सहायक अभियन्ता तथा दो अवर अभियन्ताओं के वेतन की व्यवस्था सेन्टेज से की जाती है।

चीनी मिल क्षेत्र स्तर पर जनपद में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के नेतृत्व में गन्ना विकास परिषदों द्वारा उर्वरक, यन्त्र, कीटनाशक दवा तथा गन्ना बीज आदि का वितरण व विकास कार्यों का संचालन सचिव/विशेष सचिव के निर्देशन में सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से होता है। एक चीनी मिल क्षेत्र में आवश्यकतानुसार एक अथवा एक से अधिक सहकारी गन्ना विकास समितियाँ होती हैं।

गन्ना विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- 1—विभिन्न विकास कार्यक्रमों के संचालन से गन्ने की प्रति हैक्टेअर औसत उपज में वृद्धि कराना तथा कम भूमि में अधिक गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- 2—चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित कराना।
- 3—गन्ना किसानों को चीनी मिलों से उत्तर—प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर से गन्ने की कीमत का भुगतान सुनिश्चित कराना।

सहयोगी संस्थाएं

1—गन्ना विकास परिषदें

वर्ष 1948—49 में उत्तर—प्रदेश में गन्ने के विकास एवं सघन खेती की पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित की गयी और तत्समय इण्डियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी ने कुछ अंश तथा वित्तीय अनुदान दिया। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक चीनी मिल गेट पर गन्ना विकास परिषदों की स्थापना हुयी।

उद्देश्य एवं कार्य

चीनी मिल क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, संसाधन जुटाना, कृषि निवेशों की व्यवस्था, गन्ना फसल प्रतियोगितायें आयोजित करना, गन्ना फसल के कीट एवं रोगों से बचाव के उपाय करना, प्रचार—प्रसार तथा सड़क व पुलियों का निर्माण। गन्ना विकास परिषदें चीनी मिल, किसानों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय का कार्य करती हैं।

गन्ना आपूर्ति पर मिलने वाले 3 प्रतिशत कमीशन में से 25 प्रतिशत धनराशि गन्ना विकास परिषदों को मिलती है। इसके अतिरिक्त खाण्डसारी में आपूर्ति होने वाले गन्ने पर 50 पैसे प्रति कुन्टल विकास कमीशन मिलता है। प्रत्येक चीनी मिल सड़क निर्माण हेतु 5 लाख तथा कुछ धनराशि विकास कार्यों हेतु देती हैं।

परिषदों की कुल संख्या—5 (1—बरेली 2—बहेड़ी 3—मीरगंज 4—सेमीखेड़ा 5—नबाबगंज)

2—सहकारी गन्ना विकास समितियाँ

यह गन्ना किसानों की अपनी संस्था है, जिसके माध्यम से गन्ना किसान चीनी मिलों को गन्ना पूर्ति करते हैं तथा गन्ना मूल्य का भुगतान प्राप्त करते हैं ।

उद्देश्य एवं कार्य

समितियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गन्ना किसानों को शोषण से बचाना है । प्रदेश में सर्वप्रथम 1935-36 में सहकारी गन्ना विकास समिति आस्तित्व में आयी जिसके माध्यम से गन्ना पूर्ति व्यवस्था को सुनियोजित बनाया गया । सहकारिता की भावना से सदस्य किसानों का हित संरक्षण, गन्ना पूर्ति व्यवस्था का सुनियोजन, चीनी मिलों से गन्ना मूल्य प्राप्त कर किसानों को भुगतान, सदस्य किसानों को उर्वरक, दवा कीटनाशक एवं कृषि उपकरणों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराना, किसान हित में व्यवसाय, ग्रामीण विकास के लिये सड़क, पुलियों, शिक्षा संस्थान, चिकित्सालय व खाद गोदामों आदि का निर्माण ।

सहकारी गन्ना विकास समितियों की कुल संख्या—7(बरेली, बहेड़ी, भुड़िया—अमरिया, भोजीपुरा, मीरगंज, नबाबगंज, फरीदपुर)

बिन्दु संख्या—2

अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य

1—जिला स्तरीय नियन्त्रक अधिकारी
सहयोगी अधिकारी

जिला गन्ना अधिकारी
सहायक अभियन्ता

2—ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/मंत्री

गन्ना विकास परिषद

अपने नियन्त्रण व जिला गन्ना अधिकारी के निर्देशन में चीनी मिल क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, संसाधन जुटाना, कृषि निवेशों की व्यवस्था करना, गन्ना फसल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, गन्ना फसल का कीट एवं रोगों से बचाव करना, प्रचार—प्रसार, सड़क व पुलियों का निर्माण कराना तथा गन्ना सर्वेक्षण कराना तथा गन्ना उपज के अनुमानों हेतु सामान्य गन्ना फसल कटाई प्रयोग सम्पन्न कराना ।

3—सचिव/विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियाँ

अपने नियन्त्रण व जिला गन्ना अधिकारी के निर्देशन में सदस्य किसानों का हित संरक्षण, गन्ना पूर्ति व्यवस्था का सुनियोजन, चीनी मिलों से गन्ना मूल्य का भुगतान कराना, उर्वरक, दवा, कीटनाशक एवं कृषि उपकरणों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराना, कृषक हित में व्यवसाय एवं ग्रामीण विकास हेतु खाद गोदाम आदि का निर्माण कराना

4—गन्ना विकास निरीक्षक

उपरोक्त क्रमांक 2 व 3 में निर्दिष्ट कार्य जिला गन्ना अधिकारी एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के नियन्त्रण में अपने अधीनस्थ कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षकों के माध्यम से सुनिश्चित करना/कराना ।

5—गन्ना पर्यवेक्षक

उपरोक्त क्रमांक 2 व 3 में निर्दिष्ट कार्य को उपरोक्तानुसार ग्राम स्तर पर गन्ना विकास निरीक्षकों के नियन्त्रण व निर्देशन में सम्पादित करते हैं ।

6—सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता

गाँव से चीनी मिलों तक त्वरित गति से ताजा गन्ना पहुँचाने एवं किसानों के खेत तक आसानी से बीज, उर्वरक आदि साधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गन्ना विकास विभाग का एक अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण संगठन है जो मुख्य अभियन्ता के नेतृत्व में कार्य करता है । जनपद में 01 सहायक अभियन्ता तथा 02 अवर अभियन्ता के द्वारा चीनी मिल की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से गावों को जोड़ने के लिये सड़क एवं पुलियों के निर्माण का कार्य किया जाता है । खाद गोदाम एवं भवनों का निर्माण कार्य भी यह संगठन करता है । वर्तमान में अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना, जिला स्तरीय सॉसद निधि योजना, जिला स्तरीय विधायक निधि योजना तथा जिला योजना से धन प्राप्तकर सड़क व पुलियों का निर्माण कार्य कर रहा है ।

बिन्दु संख्या—3 पर्यवेक्षक और जबाबदेही के श्रोत सहित निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

गन्ना विकास विभाग के कार्यों हेतु गन्ना अधिनियम तथा नियमावली में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेने की कार्यवाही की जाती है ।

बिन्दु संख्या—4 कार्यों को करने हेतु अपनाये गये मानक

समय—समय पर निर्गत शासनादेशों तथा गन्ना अधिनियमों के अनुसार कार्य सम्पन्न किया जाता है ।

बिन्दु संख्या—5 कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नियमों, निर्देशों और अभिलेखों आदि का विवरण ।

उद्देश्यों की पूर्ति तथा कार्यों के संचालन, निर्देशन व नियन्त्रण के लिये उत्तर—प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना आयुक्त, उत्तर—प्रदेश का पद सृजित है जो पदेन सहकारी चीनी मिलों व सहकारी गन्ना विकास समितियों का (निबन्धक), उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त (उप निबन्धक) एवं जिला गन्ना अधिकारी (सहायक निबन्धक) होता है ।

गन्ना आयुक्त को निम्नलिखित कानूनों द्वारा विधिक अधिकार प्राप्त हैं :—

- 1— यू.पी. शुगरकेन रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड परचेज एक्ट—1953
- 2— शुगरकेन (कन्ट्रोल आर्डर)—1966
- 3— शुगर (कन्ट्रोल आर्डर)—1966
- 4— इसैन्सियल कमोडिटीज एक्ट—1955
- 5— दि यू.पी. शुगरकेन सप्लाई एण्ड परचेज आर्डर—1954
- 6— दि यू.पी. शुगरकेन (परचेज टैक्स) एक्ट—1961
- 7— दि यू.पी. रिसटिक्शन आफ शुगरकेन परचेज आर्डर—1966
- 8— दि यू.पी. वैक्यूम पैन शुगर फ़ैक्ट्रीज लाइसेंसिंग आर्डर—1966
- 9— दि यू.पी. खाण्डसारी शुगर मैनुफैक्चरर लाइसेंसिंग आर्डर—1967
- 10—उत्तर—प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम—1965

उपरोक्त अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त विभिन्न विकास योजनाएं बनाकर उन्हें कार्यान्वित कराते हैं, चीनी मिलों को गन्ना पूर्ति के लिये क्षेत्र आरक्षित करते हैं, गन्ना पूर्ति की नीति निर्धारित करते हैं, चीनी मिलों का निरीक्षण करते हुये उन पर अपेक्षित नियन्त्रण रखते हैं, गन्ना मूल्य और कृषकर का भुगतान कराते हैं, किसानों से सट्टा किये गये कुल गन्ने को परेने के लिये चीनी मिलों को बाध्य करते हैं, खाण्डसारी इकाइयों, खड़े कोल्हुओं की स्थापना के लिये लाइसेंस देने एवं नवीनीकरण का कार्य करते हैं, इन इकाइयों पर अपेक्षित कर का निर्धारण करते हैं तथा अनियमितताओं के लिये चीनी मिलों की तरह उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं ।

बिन्दु संख्या-6 विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के प्रकारों का विवरण

विभाग के विभिन्न कार्यालयों यथा गन्ना विकास परिषदों व सहकारी गन्ना विकास समितियों में गार्ड फाइल, गश्ती सर्वे रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, शेयर रजिस्टर, ग्राम स्तरीय विकास डायरियाँ, लोन रजिस्टर, सट्टा फार्म, मैन्योर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि का तथा विभागीय विभिन्न पत्रावलियों का रखरखाव किया जाता है । जिला स्तर पर गन्ना विकास परिषदवार, समितिवार व कृष केन्द्रवार तथा चीनी मिलवार महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन किया जाता है तथा जनपद में कार्यरत समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों के सेवापुस्तिका, वेतन एवं भविष्य निधि आदि के विवरण का रखरखाव किया जाता है ।

बिन्दु संख्या-7 नीति निर्धारण के लिये जनता से परामर्श या सुझाव लेने का प्रबन्ध, यदि कोई हो ।

नीति निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही शासन/गन्ना आयुक्त स्तर पर की जाती है ।

बिन्दु संख्या-8 विभाग में सलाह देने के लिये गठित दो या दो से अधिक सदस्यों की समितियाँ आदि का विवरण तथा यह भी कि उनकी बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या नहीं ।

जनपद स्तर पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं है ।

बिन्दु संख्या-9 अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पूर्ण विवरण

क.	अधिकारी का नाम सर्व श्री :-	पदनाम	दूरभाष नम्बर
1	2	3	4
1	अनिल कुमार सिंह	जिला गन्ना अधिकारी	0581-2423156
2	एम0पी0 शर्मा	सहायक अभियन्ता	9719929726
3	हरपाल सिंह	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सेमीखेड़ा	9410024900
4	टीकम सिंह	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, बहेड़ी	05822-222223
5	डा0 अनिल कुमार भारती	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, बरेली	9412336963
6	संजय कुमार	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, मीरगंज	9457609373
7	हरपाल सिंह	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, नबाबगंज	05825-227337
8	फौरन सिंह	सचिव, गन्ना समिति, बहेड़ी	05822-223658
9	नत्थूलाल	सचिव, गन्ना समिति, नबाबगंज	05825-226680
10	आर0पी0 श्रीवास्तव	विशेष सचिव, गन्ना समिति, मीरगंज	0581-3241011
11	मलिखान सिंह	सचिव, गन्ना समिति, भोजीपुरा	9412194133
12	मानवेन्द्र त्रिपाठी	सचिव, गन्ना समिति, बरेली	9412870707
13	विनयमित्र द्विवेदी	विशेष सचिव, गन्ना समिति, भुडिया	09307412033
14	देव सिंह राना	सचिव, गन्ना समिति, फरीदपुर (बरेली)	9651096149
15	रामसजीवन पाल	अवर अभियन्ता	9410404919
16	सन्तोष कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	9412463380

बिन्दु संख्या—10

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं परिलब्धियाँ

विवरण संलग्न है ।

बिन्दु संख्या—11

विभाग के अन्तर्गत समस्त अभिकरणों का बजट तथा योजनाओं का प्रस्तावित व्यय एवं किये गये भुगतानों का विवरण ।

गन्ना विकास योजनायें

गन्ना विकास विभाग द्वारा कृषकों में गन्ने की खेती के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

(क) सघन गन्ना विकास की योजना

1— उन्नतिशील गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चीनी मिलों के फार्म तथा समिति के सदस्यों के यहाँ आधार एवं प्राथमिक पौधशालायें विभागीय निर्देशानुसार रखी जाती हैं तथा पौधशाला धारकों को निम्नलिखित दरों पर अनुदान दिया जाता है :-

नाम पौधशाला	अनुदान दर प्रति हैक्टेअर (रूपये में)	
	सामान्य किसान	अनु0जाति / जनजाति किसान
आधार पौधशाला	1000	2000
प्राथमिक पौधशाला	500	1000

साथ ही गन्ना शोध परिषद में उत्पादित शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के वास्तविक बीज वितरण पर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाता है ।

2—बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को बीज एवं भूमि उपचार हेतु जमावबद्धक एवं कीटनाशक दवायें 2500 टी.सी.डी. तक क्षमता वाली चीनी मिल क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा 2500 टी.सी.डी. क्षमता से अधिक में 12.5 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाता है ।

3—पेड़ी गन्ने पर यूरिया घोल छिडकाव कार्यक्रम

पेड़ी गन्ने पर यूरिया छिडकाव हेतु 2500 टी.सी.डी. तक क्षमता वाली चीनी मिल क्षेत्रों में मजदूरी व्यय 25 प्रतिशत अनुदान तथा 2500 टी.सी.डी. से अधिक पर 12.5 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाता है ।

(ख) अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलों को शीघ्र ताजा गन्ना पहुँचाने तथा किसानों के खेतों तक खाद, बीज, दवा आदि पहुँचाने के उद्देश्य से गाँव को मुख्य सड़कों से लिंक रोड द्वारा जोड़ा जाता है । लाभान्वित संस्थाओं जैसे गन्ना समिति, गन्ना विकास परिषद व चीनी मिल से अंशदायी अनुदान के रूप में दिया जाता है ।

(ग) केन्द्र पोषित योजना मैक्रोमैनेजमेन्ट मोड ऑफ एग्रीकल्चर-शुगर केन डेवलपमेन्ट
(केन्द्रीय सरकार से सहायता का अंश 90 प्रतिशत तथा राज्यांश 10 प्रतिशत)

1- फील्ड प्रदर्शन

————— गन्ने की उत्तम खेती के विभिन्न तकनीकों पर आधारित खेत प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है, जिसके कृषक देखकर इन तकनीकों को अपने खेतों में अपना सकें। इसके लिये 0.5 हैक्टेअर के प्रदर्शन के लिये रू०. 5000/- का अनुदान दिया जाता है।

2- बीज सम्बर्द्धन कार्यक्रम

आधार पौधशाला

————— गन्ना बीज सम्बर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन लागत पर 10 प्रतिशत या अधिकतम रू०. 4000/- प्रति हैक्टेअर जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।

3- हीट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट

————— इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना चीनी मिलों एवं गन्ना बीज शोध केन्द्रों पर करायी जाती है जिस पर प्रति प्लान्ट 3 लाख रूपया अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

4- कृषि संयंत्र वितरण

————— गन्ने की वैज्ञानिक ढंग से खेती करने एवं कम से कम श्रमिक शक्ति के उपयोग से अधिक गन्ने के क्षेत्रफल में कर्षण कियाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषकों को निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है :-

1-पशु/मानव चालित यंत्र

————— शुगरकेन हार्वेस्टिंग चाकू, स्प्रेयर, मैनुवल शुगरकेन स्टीपर, उर्वरक ब्राण्ड कास्टर आई.एस.आई. मार्क यंत्रों की खरीद पर कयत मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 25000/-रूपया अनुदान देय है।

2-ट्रैक्टर चालित यंत्र

————— रोटिवेटर/सेट कटिंग मशीन, दो या तीन फ़ैरो रेजर, ट्रैक्टर ड्रिवेन सूटकेन सेवर पर यंत्र के मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 15000.00 रू० जो कम हो अनुदान देय है।

5-गन्ना बीज ढुलाई

————— गन्ना शोधकेन्द्रों तथा आधार पौधशालाओं में गन्ना बीज कृषकों को उपलब्ध कराने एवं संवर्धन में अपेक्षित प्रगति लाने के उद्देश्य से गन्ना बीज ढुलाई हेतु दूरी के अनुसार प्रति कुन्तल गन्ना बीज ढुलाई पर अनुदान देने का प्राविधान है।

समता मूलक विकास हेतु अम्बेडकर ग्रामों के अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को गन्ना फसल उगाने हेतु प्रेरित करने की योजना।

1- समिति की सदस्यता

————— अनुसूचित जाति/जनजाति के गन्ना कृषकों को गन्ना समिति की सदस्यता हेतु 100/-रू०. दिये जायेंगे तथा सदस्यता ग्रहण करने हेतु 21/-रू० कृषक को स्वयं वहन करना पड़ता है।

2- क्षेत्र प्रदर्शन

————— 0.200 हैक्टेअर का गन्ना प्रदर्शन रखने पर 2000/-रू० अनुदान देने का प्राविधान किया गया है।

3- निःशुल्क बीज

————— गन्ना बुवाई हेतु 10 कुन्तल गन्ना बीज निशुल्क दिया जाता है।

बिन्दु संख्या-12 आबंटित धन एवं लाभार्थियों के विवरण सहित अनुदान कार्यक्रमों को संचालित करने का तरीका ।

उपरोक्त क्रमांक 11 में वर्णित है तथा लाभार्थियों का विवरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों/सहकारी गन्ना विकास समितियों में देखा जा सकता है ।

बिन्दु संख्या-13 छूट प्राप्त करने वाले का विवरण

सम्बन्धित नहीं ।

बिन्दु संख्या-14 इलैक्ट्रानिक्स प्रारूप में रखी गयी सूचना का विवरण

1-वर्तमान में जनपद स्तर पर इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

2-चीनी मिल क्षेत्र सुरक्षण सम्बन्धी आदेश, कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें विभागीय वेबसाइट WWW.upcane.org पर उपलब्ध हैं ।

बिन्दु संख्या-15 सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें ।

जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदक जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र 10/-रु0 सहित जो "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60- अन्य सेवायें, 800-अन्य प्रक्रिया, 11-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन से प्राप्त शुल्क" चालान द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या नकद जमा करके सूचना 30 दिन के अन्दर प्राप्त कर सकता है । इसके अतिरिक्त लोकवाणी केन्द्रों पर ई-मेल/इन्टरनेट द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त प्राप्त कर सकते हैं । आवेदक द्वारा सवाल नकल एवं निरीक्षण के उपरान्त भी सूचना प्राप्त की जा सकती है ।

बिन्दु संख्या-16 जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण

क्र.	नाम जन सूचना/सहायक जन सूचना अधिकारी तथा पदनाम सर्व श्री :-	कार्य क्षेत्र	दूरभाष नम्बर
1	अनिल कुमार सिंह, जिला गन्ना अधिकारी जन सूचना अधिकारी	जनपद-बरेली	0581-2423156 9415155659
2	वी0के0 सक्सेना, अन्वेषक कम संगणक सहायक जन सूचना अधिकारी	जनपद-बरेली	0581-2423156 9634083148
3	डा0 अनिल कुमार भारती, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- बरेली/फरीदपुर	9412336963
4	मानवेन्द्र त्रिपाठी सिंह, सचिव, गन्ना समिति सहायक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- बरेली	9412870707
5	देव सिंह राना, सचिव, गन्ना समिति सहायक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- फरीदपुर	9651096149
6	टीकम सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र बहेड़ी/भुड़िया	05822-222223 9359507569
7	फौरन सिंह, सचिव, गन्ना समिति सहायक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- बहेड़ी	05822-223658 9412197006
8	विनयमित्र द्विवेदी, विशेष सचिव, गन्ना समिति सहायक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- भुड़िया	09307412033
9	हरपाल सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- भोजीपुरा	9410024900

10	मलिखान सिंह,	सचिव, गन्ना समिति सहायक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- भोजीपुरा	9412194133
11	संजय कुमार,	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- मीरगंज	9457609373
12	आर०पी० श्रीवास्तव,	विशेष सचिव, गन्ना समिति सहायक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- मीरगंज	0581-3241011 9358337753
13	हरपाल सिंह,	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- नबाबगंज	05825-227337 9410024900
14	नन्थूलाल,	सचिव, गन्ना समिति सहायक जन सूचना अधिकारी	गन्ना समिति क्षेत्र- नबाबगंज	05825-226680 9411087344

अपीलीय अधिकारीगण	
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिव/ विशेष सचिव सहकारी गन्ना विकास समितियाँ	जिला गन्ना अधिकारी, बरेली के लिये
<p>श्री अनिल कुमार सिंह जिला गन्ना अधिकारी बरेली</p> <p>दूरभाष कार्यालय- 0581-2423156 मोबाईल नम्बर- 9415155659</p>	<p>ड० सुल्तान अहमद उप गन्ना आयुक्त बरेली</p> <p>दूरभाष कार्यालय- 0581-2547343 मोबाईल नम्बर- 9415410606</p>

बिन्दु संख्या-17 नियमों के अन्तर्गत अन्य कोई सूचना

कोई नहीं ।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मासिक परिलब्धियाँ (बिन्दु संख्या-10)

क्र.	नाम अधिकारी/कर्मचारी सर्व श्री :-	पदनाम	ग्रेड वेतन	मूल वेतन	अन्य भत्ते	कुल परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1	अनिल कुमार सिंह	जिला गन्ना अधिकारी	6600	31100	10922	42022
2	एम०पी० शर्मा	सहायक अभियन्ता	6600	20438	10461	30899
3	विजय कुमार सक्सेना	अन्वेषक/संगणक	5400	25150	8983	34133
4	टीकम सिंह	ज्ये०ग०वि०निरीक्षक	5400	24580	6983	31563
5	डा० अनिल कुमार भारती	ज्ये०ग०वि०निरीक्षक	4200	15210	5546	20756
6	हरपाल सिंह	ज्ये०ग०वि०निरीक्षक	4200	15530	4087	19617
7	संजय कुमार	ज्ये०ग०वि०निरीक्षक	4200	14760	3917	18677
8	राम सजीवन पाल	अवर अभियन्ता	6600	31100	11772	42872
9	सन्तोष कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	5400	26880	8439	35319
10	लल्लूराम	गन्ना विकास निरीक्षक	4200	15180	4010	19190
11	योगेश कुमार यादव	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	15210	5136	20346
12	मानवेन्द्र त्रिपाठी	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	12590	4560	17150
13	मलिखान सिंह	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	13920	4732	18652

14	अशोक कुमार भारती	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	11360	4289	15649
15	राजेन्द्र पाल सिंह	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	13920	4852	18772
16	अश्वनी कुमार रस्तोगी	गन्ना विकास निरीक्षक	4200	17740	4573	22313
17	उपेन्द्र कुमार सिंह	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	13640	4671	18311
18	ढाकनलाल सागर	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	13730	4691	18421
19	बाबूराम	गन्ना विकास निरीक्षक	4200	17740	4573	22313
20	यतेन्द्र हल्दिया	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	11360	4169	15529
21	महेन्द्रपाल	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	15210	3901	19111
22	दयाशंकर वर्मा	गन्ना विकास निरीक्षक	4200	17740	4573	22313
23	फौरन सिंह	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	14150	3943	18093
24	प्रेमपालसिंह गंगवार	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	14960	3846	18806
25	देवेन्द्र नाथ सक्सेना	गन्ना विकास निरीक्षक	4200	18460	4893	23353
26	प्रदीप कुमार	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	13640	3001	16641
27	रामचन्द्र लाल	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	15210	4176	19386
28	अजय कुमार गुप्ता	गन्ना विकास निरीक्षक	4200	18140	4913	23053
29	नत्थूलाल	गन्ना विकास निरीक्षक	4200	18060	4643	22703
30	श्यामबिहारी लाल	गन्ना विकास निरीक्षक	4200	17740	4913	22653
31	राकेश पटेल	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	13640	3001	16641
32	अशरफ अली	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	12440	3567	16007
33	कमल सिंह	गन्ना विकास निरीक्षक	2800	15210	4176	19386
34	हैदर अब्बास	वरिष्ठ लिपिक	2800	15210	5136	20346
35	रामपाल	वरिष्ठ लिपिक	2800	14420	5212	19632
36	अशोक कुमार सक्सेना	वरिष्ठ लिपिक	2800	14420	4962	19382
37	डालचन्द्र वर्मा	वरिष्ठ लिपिक	2800	14170	4907	19077
38	राजकुमार शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	2800	13920	3182	17102
39	राजीव कुमार सक्सेना	वरिष्ठ लिपिक	2400	11930	4415	16345
40	भूपालराम	वरिष्ठ लिपिक	2400	11120	4246	15366
41	अनिल कुमार जौहरी	वरिष्ठ लिपिक	2800	14170	5157	19327
42	श्रमती मंजूरानी पाराशरी	वरिष्ठ लिपिक	2400	11310	4078	15388
43	निरंकारनाथ अग्रवाल	वरिष्ठ लिपिक	2800	14420	4002	18422
44	अखलाक अहमद	उर्दू अनु०/सह व०लि०	2400	11130	3184	14314
45	सुभाष चन्द्र सक्सेना	मैकेनिक	2800	15210	5081	20291
46	संजय कुमार सक्सेना	कनिष्ठ लिपिक	1900	10430	2615	13045
47	श्रीमती प्रकाश वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	1900	10430	3575	14005
48	रोहित कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	1900	8210	3086	11296
49	योगेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	1900	8870	3511	12381
50	रवि कुमार	कनिष्ठ लिपिक	1900	8720	3198	11918
51	प्रदीप कुमार गर्ग	कनिष्ठ लिपिक	-	3125	4688	7813
52	खेमकरन लाल	कनिष्ठ लिपिक	1900	10430	3575	14005
53	हौसला प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	1900	8720	2303	11023
54	हेमेन्द्र कुमार	कनिष्ठ लिपिक	1900	8460	2441	10901
55	गुरुप्रसाद	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	5973	23713
56	दिनेश कुमार सक्सेना	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	5973	23713
57	धर्मेन्द्र	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17420	5902	23322
58	सत्येन्द्र सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	15210	5066	20276
59	सुरेन्द्र कुमार मिश्रा	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13640	4721	18361

60	रविन्द्रपाल पाल सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	5973	23713
61	गोकरनलाल	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	4623	22363
62	राम बहादुर	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	14960	3341	18301
63	संतोष कुमार सिंह तोमर	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13370	4911	18281
64	राजेन्द्र प्रकाश	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	4963	22703
65	पोशाकी लाल	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17420	6082	23502
66	अख्तर खॉ	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13120	3491	16611
67	रूपराम	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	12930	4565	17495
68	प्रेमचन्द प्रसाद	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
69	रतिराम	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
70	अश्वनी वर्धन	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	9180	2470	11650
71	भूपेन्द्र सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
72	नरेन्द्र पाल	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
73	सोमपाल	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
74	सन्तोष कुमार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3671	13721
75	वीरपाल सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
76	उमाशंकर	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13370	4661	18031
77	श्याम बाबू पाठक	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17420	6082	23502
78	महेश प्रताप	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
79	सुखीराम सागर	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
80	राजवीर सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
81	सन्त सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17420	4892	22312
82	हजारी लाल	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13370	3821	17191
83	हसीन अहमद	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13640	3881	17521
84	सुशील कुमार	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	4963	22703
85	पूरनलाल	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13370	3821	17191
86	मेवाराम गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	14420	3997	18417
87	रघुवेश कौशिक	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13890	3881	17771
88	तीर्थराज वर्मा	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17420	4892	22312
89	रविन्द्र सिंह यादव	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	4963	22703
90	नेत्रपाल सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	16910	4730	21640
91	मूलचन्द्र गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	4963	22703
92	सत्यवीर कंचन	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	4963	22703
93	महीपाल सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	4963	22703
94	डिल्लीधर	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	4963	22703
95	सुरेन्द्र कुमार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3071	13121
96	राम विलास	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
97	मित्रपाल	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
98	मनोज कुमार सक्सेना	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	11280	2932	14212
99	प्रमोद कुमार गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10580	2978	13558
100	लोकनाथ	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	11860	2659	14519
101	महेश चन्द्र सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	11860	3489	15349
102	अनिल कुमार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
103	अर्थराम	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
104	अजय कुमार सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
105	जगन्नाथ प्रसाद गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911

106	रामलखन पाल	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
107	संजय कुमार यादव	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2261	12311
108	राम औतार	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13120	3766	16886
109	कृष्ण कान्त त्रिपाठी	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
110	उपेन्द्रनाथ खरवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
111	सूरजपाल सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	12850	3707	16557
112	अरुण कुमार सक्सेना	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	4928	2596	7524
113	सुभाष चन्द्र	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2261	12311
114	दलवीर सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
115	सोमवीर	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
116	जितेन्द्र कुमार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2861	12911
117	राज कुमार	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13920	3942	17862
118	नत्थूलाल मौर्य	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	14170	3722	17892
119	लालता प्रसाद गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13120	3491	16611
120	नत्थूलाल गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13640	3606	17246
121	घनश्याम गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2261	12311
122	वीरेन्द्र कुमार सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	14420	3777	18197
123	रोशनलाल	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	14170	3722	17892
124	मुन्नालाल	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17420	4552	21972
125	प्रेमपाल सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13370	3491	16861
126	त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	11280	2932	14212
127	राजेश कुमार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
128	चन्द्रसेन गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
129	बृहमस्वरूप गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
130	कामता प्रसाद	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10760	2817	13577
131	अतर सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	9460	2531	11991
132	प्रेमपाल	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
133	सुरेन्द्र सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	12280	3293	15513
134	श्याम बिहारी	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13120	3491	16611
135	बाबूराम गंगवार	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13640	3606	17246
136	बनवारी लाल	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	4623	22363
137	रण विजय भारती	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
138	अरुण कुमार	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
139	उमाकान्त	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
140	मनोहर लाल	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
141	कमलेश सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	13370	3491	16861
142	अनिल कुमार मिश्रा	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
143	ओम प्रकाश	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2661	12711
144	राजेन्द्र प्रसाद	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10930	2855	13785
145	सत्यपाल यदुवंशी	गन्ना पर्यवेक्षक	4200	17740	5973	23713
146	विजय सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
147	प्रेमपाल सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2261	12311
148	सुशील कुमार यादव	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
149	हसीन अहमद	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	2261	12311
150	सत्यपाल सिंह	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511
151	वेद प्रकाश	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10050	3461	13511

152	अजय बाबू शर्मा	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	9750	3395	13145
153	दिनेश चन्द्र शर्मा	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	10760	3617	14377
154	श्रीराम माथुर	गन्ना पर्यवेक्षक	2800	11860	4329	16189
155	जगपाल	दपतरी	1400	8740	2933	11673
156	सत्येन्द्रपाल सिंह	चपरासी	1300	8190	2782	10972
157	श्रीमती किरन	चपरासी	1300	7430	2615	10045
158	महेश कुमार	चपरासी	1300	7050	2531	9581
159	राज कुमार	चपरासी	1300	7580	2601	10181
160	श्रीमती सुधा शर्मा	चपरासी	1300	6950	2509	9459
161	श्रीमती ओमवती	चपरासी	1300	8190	2702	10892
162	श्रीमती आशा देवी	चपरासी	1300	7320	2590	9910
163	श्रीमती मालावती	चपरासी	1300	7430	1935	9365

कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी, बरेली

पत्रांक

/सॉ0-21

दिनांक:बरेली'अगस्त'

'2009

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
एवं नोडल अधिकारी
बरेली ।

विषय :-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विभाग तथा अधिकारियों की बाध्यतायें ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक दिनांक 10-10-2006 को विकास भवन में आहूत बैठक में महोदय द्वारा दिये निर्देशों के अनुक्रम में 17 बिन्दुओं पर तैयार की गयी सूचना बुकलेट के रूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा करें ।

संलग्नक :-यथोपरि

{ अनिल कुमार सिंह }
जिला गन्ना अधिकारी
बरेली

उपरोक्त की प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, बरेली की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला गन्ना अधिकारी
बरेली

